UPRP010016082016

Presented on : 15.03.2016
Registered on : 15.03.2016
Decided on : 15.07.2026
Duration : 10 Years, 04 Months, 00 days.

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस० एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं० 06, रामपुर।

उपस्थित–पिंकू कुमार––––उच्चतर न्यायिक सेवा(J.O.Code-UP2659)

विशेष वाद सं०–32/2016

पंजीयन सं०–92/2016

उत्तर प्रदेश राज्य **––––अभियोजन पक्ष।**

बनाम

गुलदार पुत्र रियासत अली,

निवासी मौहल्ला घेर मर्दान खाँ, थाना कोतवाली, जिला रामपुर उत्तर प्रदेश।

––––अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–272/2014
धारा–8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985।
थाना–कोतवाली, जिला–रामपुर।

....

अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता–श्रीआर०सी०अरोड़ा।
(सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता–दाण्डिक)
अभियुक्त पक्ष की ओर से अधिवक्ता–श्री कुर्बान अली।

....

निर्णय

अभियुक्त गुलदार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 272/2014, अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत थाना कोतवाली, जिला रामपुर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर बाद प्रसंज्ञान विशेष वाद संख्या 32/2016 की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

वादी मुकदमा उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार द्वारा दी गयी तहरीर/फर्द बरामदगी के आधार पर अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि–"आज दिनांक 01.09.2014 को मैं उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार मय कां० 437 दीपक कुमार, कां० 196 चरनपाल सिंह मय जिप्सी सरकारी यू०पी० 20 जी० 0033 चालक कां० 583 शमशाद अली के थाने से बहवाले रपट संख्या 04 समय 02:55 बजे रवाना होकर देखरेख शाांति व्यवस्था व दबिश वांछित व तलाश वारण्टी चेकिंग गश्त व पिकेट में मामूर थे कि जब हम लोग गश्त करते हुये किला पश्चिमी गेट पर पहुचे, तो नौदरा की तरफ से दो मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति किला पश्चिमी गेट आये, तो हम पुलिस वालों को सामने देखकर पीछे मुड़कर भागने लगे, तो टोका और रुकने को कहा, किन्तु नहीं रुके। शक होने पर जिप्सी से पीछा करके घेरकर पुरानी तहसील के गेट के सामने इन दोनों व्यक्तियों को मय मोटरसाइकिल के समय करीब 06:30 बजे प्रातः पकड़ लिया। नाम, पता पूछते हुये जामा तलाशी ली, तो

Digitally signed by PINKU KUMAR
Date: 2026.05.27 21:12:38 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

इन दोनों ने बताया कि हमारे पास 250–250 ग्राम चरस है। जिसे हम आज ही उत्तराखण्ड से खरीद कर लाये हैं। मामला मादक पदार्थ से संबंधित होने पर इन दोनों से अपनी जामा तलाशी मजिस्ट्रेट महोदय एवं क्षेत्राधिकारी महोदय के समक्ष चलकर स्वयं देने एवं यहाँ बुलाकर उनके समक्ष देने को एन०डी०पी०एस० एक्ट के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों से अवगत कराया गया। तो ये दोनों बोले कि अब पकड़े तो जा चुके हैं, हम अपनी गलती कबूल करते हैं, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। आप ही हमारी जामा तलाशी ले लो। किसी अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट को न तो यहाँ बुलाने की आवश्यकता है, न ही हम वहाँ जायेंगे। इसी दौरान मुझ उपनिरीक्षक द्वारा मोबाईल फोन से नगर मजिस्ट्रेट महोदय एवं क्षेत्राधिकारी नगर महोदय से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो संपर्क नहीं हो सका। अतः फर्द सहमति अलग–अलग तैयार करते हुये बारी–बारी से दोनों का नाम पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी, तो मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम गुलदार पुत्र रियासत अली, निवासी घेर मर्दान खाँ, थाना कोतवाली, रामपुर बताया। इसकी जामा तलाशी से पहनी शर्ट की सीने की बायीं जेब से पन्नी में लिपटी 250 ग्राम चरस बरामद हुई। दूसरे ने अपना नाम जमीर पुत्र अनीस, निवासी बंगला आजाद खां, थाना कोतवाली, रामपुर बताया। इसकी पहनी लोवर की दाहिनी जेब से पन्नी में लिपटी 250 ग्राम चरस बरामद हुई। जिसे खुद सूंघा, दूसरे को सुंघाया, चरस की बू आ रही है। कां० 437 दीपक कुमार से तराजू व बाट मंगाकर दोनों से बरामद चरस का वजन किया, तो 250–250 ग्राम वजन सही पाया, जिसमें से 50–50 ग्राम चरस बतौर नमूना अलग निकालकर पन्नी में रखकर शेष 200–200 ग्राम चरस को बरामदगी अनुसार अलग–अलग कपड़े में रखकर सील सर्वे मोहर कर अलग–अलग नमूने मोहर बनाये गये तथा इनसे बरामद मोटरसाईकिल यू०पी० 22 यू० 5035 होण्डा ड्रीम, जो अवैध कारोबार में इस्तेमाल की जा रही है। हस्व कायदा व जाफता पुलिस कब्जे ली जाती है। इनका यह अपराध जुर्म धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट की हद को पहुंचता है। अतः कारण गिरफतारी बताये हुये तथा एन०डी०पी०एस० एक्ट में दिये गये प्रावधानों का पालन करते हुये हस्व कायदा व जाफता हिरासत पुलिस में लिया जाता है। फर्द का मजमून लिखकर, पढकर, सुनाकर गवाही हमराहीयान करायी जाती है। चूँकि सुबह–सुबह का वक्त है। आने–जाने वालों ने पुलिस झंझटों से बचने के लिये गवाही देने को मना कर दिया। इनके परिवार वालों को थाने पहुंचकर इनकी गिरफतारी की सूचना दी जायेगी।"

उक्त फर्द बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली, जिला रामपुर की पुलिस द्वारा दिनांक 01.09.2024 समय 08:35 बजे को मुकदमा अपराध संख्या 272/2014, अभियुक्त गुलदार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा मुकदमा अपराध संख्या 273/2014, अभियुक्त जमीर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर विवेचना प्रारंभ की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया। विवेचना के उपरांत विवेचक ने मुकदमा अपराध संख्या 272/2014 में अभियुक्त गुलदार के विरुद्ध धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र न्यायालय में प्राप्त किये जाने पर मामले में प्रसंज्ञान लिया गया तथा अभियुक्त को अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० अभियोजन प्रपत्रों की नकले प्रदान की गयी।

अभियुक्त गुलदार के विरुद्ध दिनांक 01.09.2021 को आरोप अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम में विरचित किये गये। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने आरोपों से इंकार किया और विचारण की याचना की।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में कुल 03 साक्षीगण को मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है, जो निम्नवत हैं–

क्र०सं०	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
पी०डब्ल्यू०–1	उ०नि०प्रमोद कुमार	वादी मुकदमा/तथ्य के साक्षी
पी०डब्ल्यू०–2	निरीक्षक अरविन्द कुमार	औपचारिक साक्षी/विवेचक
पी०डब्ल्यू०–3	हेड कां० देवेन्द्र कुमार	औपचारिक साक्षी

उक्त साक्षीगण को परीक्षित कराये जाने के उपरांत विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक)द्वारा अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्र०सं०	**अभिलेखीय साक्ष्य**	**कागज संख्या**	**प्रदर्श संख्या**	**साक्षी/साबितकर्ता**
1.	फर्द बरामदगी	3 क/3	प्रदर्श क–1	पी०डब्ल्यू०–1
2.	सहमति पत्र	6 क	प्रदर्श क–2	पी०डब्ल्यू०–1
3.	गिरफतारी प्रपत्र	15 क/1 ता 15 क/2	प्रदर्श क–3	पी०डब्ल्यू०–1
4.	नक्शा नजरी	5 क	प्रदर्श क–4	पी०डब्ल्यू०–2
5.	आरोप पत्र	4 क	प्रदर्श क–5	पी०डब्ल्यू०–2
6.	एफ०एस०एल० रिपोर्ट	8 क	प्रदर्शक–6	पी०डब्ल्यू०–2
7.	चिक एफ०आई०आर०	3 क/1 ता 3 क/2	प्रदर्श क–7	पी०डब्ल्यू०–3
8.	जी०डी०	18 ख	प्रदर्श क–8	पी०डब्ल्यू०–3

अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित किये जाने हेतु निम्नलिखित भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्र०सं०	**भौतिक साक्ष्य**	**प्रदर्श संख्या**	**साक्षी/साबितकर्ता**
1.	चरस	वस्तु प्रदर्श–1	पी०डब्ल्यू०–1

2.	पारदर्शी पन्नी	वस्तु प्रदर्श–2	पी०डब्ल्यू०–1
3.	सफेद कपड़ा	वस्तु प्रदर्श–3	पी०डब्ल्यू०–1

अभियुक्त गुलदार के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्त ने अभियोजन कथानक को गलत बताया। साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 उ०नि० प्रमोद कुमार द्वारा गलत बयान देना बताया। साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 विवेचक/निरीक्षक अरविन्द कुमार द्वारा सही विवेचना न कर आरोप पत्र दाखिल किया जाना बताया। साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 हे०कां० देवेन्द्र कुमार द्वारा गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित किया जाना बताया। अतिरिक्त कथन में यह कहा कि "मुझे थाने में मोटरसाईकिल के कागज दिखाने बुलाया था, कागज ठीक थे। रुपये की मांग की गयी। मना करने पर झूठा मुकदमा लगाया है। मेरे पास चरस बरामद नहीं हुई है। मैं बेकसूर हूँ।" अभियुक्त द्वारा झूठा मुकदमा चलने का कथन करते हुये बचाव साक्ष्य देने से इंकार किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य का विश्लेषण किये जाने के पूर्व इस न्यायालय की राय में अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के मुख्य साक्ष्य के सारांश का उल्लेख करना आवश्यक एवं न्यायोचित होगा,जो कि निम्नवत है–

साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 उ०नि० प्रमोद कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया कि दिनांक 01.09.2014 को मैं थाना कोतवाली पर बतौर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उक्त दिनांक को मैं उपनिरीक्षक अपने हमराह कां० 437 दीपक कुमार व कां० 196 चरनपाल मय जिप्सी सरकारी चालक शमशाद अली के थाने से वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था में रवाना होकर थाना क्षेत्र में मामूर था। जब हम लोग गश्त करते हुये किला पश्चिमी गेट पर पहुंचे, तो नौदरा की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो लोग आये, जो हम पुलिस वालों को देखकर अचानक पीछे मुड़कर जाने लगे। शक होने पर उनको टोका और रुकने को कहा, नहीं रुके, तब पीछा कर हम पुलिस वालो ने पुराना तहसील गेट के सामने उन व्यक्तियों को मय मोटरसाईकिल के पकड़ लिया। नाम, पता पूछते हुये जामा तलाशी ली, तो मोटरसाईकिल चला रहे व्यक्ति ने अपना नाम गुलदार पुत्र रियासत, निवासी घेर मर्दान खाँ, थाना कोतवाली, रामपुर बताया। दूसरे ने अपना नाम जमीर पुत्र, निवासी मौ० आजाद खाँ, थाना कोतवाली बताया। जामा तलाशी लेनी चाही, तो उन लोगों ने बताया कि हम लोगों के पास चरस है। मामला मादक पदार्थ से संबंधित होने के कारण इन लोगों को बताया कि आप अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या क्षेत्राधिकारी के समक्ष चलकर या उन्हें बुलाकर दे सकते हैं। इन लोगों ने एक साथ मिलकर कहा कि नहीं, जब हमें पकड़ ही लिया है और हमारे पास चरस है, तो आप ही हमारी तलाशी ले लें, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। मुझ उपनिरीक्षक द्वारा इन लोगों की तलाशी ली गयी, तो चालक गुलदार पहनी कमीज की सीने की बांयी जेब में पन्नी में लिपटी चरस बरामद हुई। मेरे द्वारा सहमति पत्र तैयार कर अभियुक्त के हस्ताक्षर कराये तथा कां० 437 दीपक को भेजकर बाट तराजू मंगाकर बरामद चरस का अभियुक्तवार वजन किया। क्रमशः 250 व 250 ग्राम पायी गयी। बरामद चरस में से 50 व 50 ग्राम बतौर नमूना निकालकर अलग–अलग तथा शेष 200 व 200 ग्राम को अलग–अलग कपड़ो में लपेटकर सील सर्वे मोहर तैयार किये गये। आने–जाने वाले व्यक्तियों से गवाही को कहा, तो बेवजह झंझट में न पड़ने का वास्ता देकर बिना नाम, पता बताये चले गये। इन अभियुक्तों को इनके जुर्म धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट से अवगत कराकर समय 06:30 बजे सुबह के हिरासत पुलिस लिया गया। फर्द हमराही कर्मचारीगण को सुनाकर गवाही बनवायी गयी। दौराने कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन किया गया व अभियुक्तों की गिरफतारी की सूचना थाने

जाकर उनके परिजनों को दी गयी और माल मय मुल्जिमान थाने जाकर अभियोग लिखाया था। पत्रावली पर कागज संख्या 3क/3 फर्द बरामदगी मेरे लेख व हस्ताक्षर में संलग्न है, जिस पर हमराहीगण व अभियुक्तगण गुलदार का निशानी अंगूठा व अभियुक्त जमीर के हस्ताक्षर हैं। इस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 6क जामा तलाशी व सहमति पत्र है, जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं और अभियुक्त गुलदार का निशानी अंगूठा है, जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध 15क/1 व 15क/2 अभियुक्त गुलदार की गिरफतारी व सूचना का प्रारुप प्रमाणित प्रति है, जिसकी मूल प्रति आज न्यायालय में तलब पत्रावली विशेष वाद संख्या 35/2016, बनाम जमीर में कागज संख्या 14ख/5 व 14ख/6 के रुप में उपलब्ध है। उक्त गिरफतारी प्रपत्र की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है, जिसको साक्षी को दिखाया गया, तो साक्षी ने कहा कि यह मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। इस पर अभियुक्त गुलदार का निशानी अंगूठा भी है। इस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। आज माननीय न्यायालय की अनुमति से एक माल पुलिंदा पेश किया गया, जो कि सफेद कपड़े में लिपटा है, जिसे खोलने पर एक पारदर्शी पन्नी में ठोस अवस्था में चरस है, चरस पर वस्तु प्रदर्श–1 डाला गया। पारदर्शी पन्नी पर वस्तु प्रदर्श–2 डाला गया तथा सफेद कपड़े पर वस्तु प्रदर्श–3 डाला गया।

साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 विवेचक/निरीक्षक अरविन्द कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया कि दिनांक 01.09.2014 को मैं उपनिरीक्षक के पद पर थाना कोतवाली में तैनात था। दिनांक 01.09.2014 को थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या 272/2014, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, बनाम जमीर पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना मुझे प्राप्त हुई थी। दिनांक 01.09.2014 को ही विवेचना की कार्यवाही के क्रम नकल चिक, नकल रपट, जी०डी०तथा बयान कां०क्लर्क 403 देवेन्द्र कुमार चिक एफ०आई०आर० लेखक अंकित किये तथा अभियुक्त जमीर का बयान अंकित किया। दिनांक 01.09.2014 को ही थाने पर उपस्थित बयान वादी उ०नि० प्रमोद कुमार तथा बयान कां० 437 दीपक कुमार, बयान कां० 196 चरन पाल, बयान कां० 583 शमशाद अली के कथन अंकित किये गये। इसके बाद वादी की निशानदेही पर नक्शा नजरी तैयार किया गया। जो मेरे हस्तलेख में है। दिनांक 26.09.2014 को मुकदमा उपरोक्त में बरामद माल में से लिया गया नमूना परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा दाखिल करने का विवरण अंकित किया गया। इसी दिन पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त जमीर के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 207/2014 किता किया गया, जिसमें माल परीक्षण रिपोर्ट थाना कोतवाली पर प्राप्त होने पर द्वारा उ०नि० जितेन्द्र कुमार थाना कोतवाली द्वारा माननीय न्यायालय प्रेषित की गयी, जिसमें चरस होना पाया गया था। पत्रावली पर कागज संख्या 5क नक्शा नजरी को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही नक्शा नजरी है, जो मेरे द्वारा वादी की निशानदेही पर तैयार किया गया था, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज 4क/1 आरोप पत्र को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही आरोप पत्र है, जो मेरे द्वारा अभियुक्त गुलदार के विरुद्ध माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 8क विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पर प्रदर्श क–6 डाला गया।

साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 हे०कां० देवेन्द्र कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया गया कि दिनांक 09.01.2014 को मैं थाना कोतवाली में बतौर कां० क्लर्क के पद पर तैनात था। उस दिन थाने के वादी मुकदमा उ०नि० प्रमोद कुमार मय फोर्स मय दो गिरफतारशुदा मुल्जिम, मय गिरफतारी प्रपत्र, मय सहमति पत्र, मय नमूना सील सर्वे मोहर, एक मोटरसाईकिल व चार पुलिंदे माल थाना वापस आये थे। वादी की फर्द बरामदगी के आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 272/2014, बनाम गुलदार,

धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट एवं मुकदमा अपराध संख्या 273/2014, बनाम जमीर, धारा 8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट पंजीकृत किया था। जिनकी चिक एफ०आई०आर० मेरे द्वारा किता की गयी थी। मुकदमे का इन्द्राज उक्त दिनांक को ही रपट संख्या 16 समय 08:33 बजे किया था। पत्रावली पर उपलब्ध मूल चिक एफ०आई०आर० कागज संख्या 3क/1 व 3क/2 को देखकर गवाह ने कहा कि यह वही मूल चिक एफ०आई०आर० है, जिसको मेरे द्वारा किता किया गया था, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है व थाने की मोहर लगी है। चिक एफ०आई०आर० पर प्रदर्श क–7 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 18ख कायमी जी०डी० है, जो मेरे द्वारा किता की गयी थी, जो एक ही प्रोसेस पर मेरे द्वारा तैयार किये गये थे। जो कार्बन प्रति है। जिसे मैं प्रमाणित करता हूँ। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। कायमी जी०डी० पर प्रदर्श क–8 डाला गया।

उक्त वाद में विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या दिनांक 01.09.2014 को समय 06:30 बजे बहद स्थान पुरानी तहसील गेट के सामने हामिद गेट, थाना कोतवाली, जिला रामपुर की क्षेत्राधिकारिता में पुलिस गश्ती दल द्वारा अभियुक्त गुलदार को गिरफतार किये जाने पर उसकी जामा तलाशी में उसके कब्जे से 250 ग्राम चरस नाजायज बरामद की गयी अथवा नहीं ?

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में अब यह देखा जाना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये उक्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित कर सका है अथवा नहीं ?

निष्कर्ष

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों का अनुपालन नियमानुसार नही किया गया है। इस कारण अभियोजन कथानक विधि विरूद्ध होने के कारण अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

बचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि पुलिस गश्ती दल द्वारा धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन किया गया है तथा अभियुक्त द्वारा सहमति दिये जाने के उपरांत सहमति पत्र तैयार कर अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी ।

उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क –1 के अनुसार दिनांक 01.09.2014 को समय 06:30 बजे स्थान पुरानी तहसील के सामने, थाना कोतवाली, जिला रामपुर में पुलिस गश्ती दल द्वारा अभियुक्त गुलदार को गिरफतार किया गया तथा उसकी जामा तलाशी लिये जाने पर उसके द्वारा पहनी कमीज की बांयी जेब से पन्नी में लिपटी 250 ग्राम चरस नाजायज बरामद हुआ। धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मादक पदार्थों के संबंध में व्यक्तिगत रुप से तलाशी लेने की आवश्यकता पड़ती है, तब गिरफ्तारी करने वाले सक्षम

अधिकारी का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त को उसके विधिक अधिकार की जानकारी दे कि वह अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट अथवा राजपत्रित अधिकारी के समक्ष देना चाहता है, तो इस संबंध में वह अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त गुलदार द्वारा पहनी हुई कमीज की बांयी जेब से एक काली पन्नी में चरस बरामद होना दर्शित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधान उक्त प्रकरण पर लागू होते हैं।

अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या पुलिस गश्ती दल द्वारा धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है अथवा नहीं ?

सहमति पत्र पत्रावली पर प्रदर्श क–2 संलग्न है, जिसमे यह अंकित है कि–"आज दिनांक 01.09.2014 को समय 06:30 बजे स्थान पुरानी तहसील के सामने थाना कोतवाली, जनपद रामपुर पर गुलदार पुत्र श्री रियासत अली, निवासी मौहल्ला घेर मर्दान खां, थाना कोतवाली, रामपुर जिसके पास मनः प्रभावी एवं मादक पदार्थ होने का आधार है, यह पूछा गया–

प्रश्न–क्या वह अपनी तलाशी किसी नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष कराना चाहता है ?

उत्तर–नहीं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप ही मेरी तलाशी ले लें।

प्रश्न–क्या वह अपनी तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष कराना चाहते हैं ?

उत्तर–नहीं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। आप ही मेरी तलाशी ले लें।

प्रश्न–क्या वह अपनी तलाशी मुझ उपनिरीक्षक को देना चाहता है ?

उत्तर–हाँ।आप ही मेरी तलाशी ले लें।"

इसी प्रकार साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार द्वारा अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया है कि–"मामला मादक पदार्थ से संबंधित होने के कारण इन व्यक्तियों को बताया कि आप अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या क्षेत्राधिकारी के समक्ष चलकर या उन्हें बुलाकर दे सकते है। इन लोगों ने एक साथ मिलकर कहा कि नहीं। जब हमें पकड़ ही लिया है और हमारे पास चरस है, तो आप ही हमारी तलाशी ले ले। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है।" उक्त साक्षी से की गयी विस्तृत प्रतिपरीक्षा में बचाव पक्ष द्वारा उक्त तथ्यों के प्रतिकूल कोई कथन नहीं कराया जा सका।

इस प्रकार सहमति पत्र प्रदर्श क–1 एवं अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार के सशपथ मौखिक साक्ष्य से यह साबित होता है कि कि पुलिस गश्ती दल द्वारा मौके पर ही अभियुक्त गुलदार को अपनी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट के सामने कराने के विधिक अधिकार की जानकारी दिये जाने के तथ्य पत्रावली पर भलीभांति रुप से साबित कराये गये हैं। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि पुलिस गश्ती दल द्वारा धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया

गया। अतः बचाव पक्ष का यह तर्क कि पुलिस गश्ती दल द्वारा धारा 50 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया, निराधार है।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध फर्जी एवं गलत तथ्यों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पुलिस पार्टी द्वारा मौके पर फर्द बरामदगी लिखा जाना तथा उसकी प्रति अभियुक्त गुलदार को दिया जाना कहा गया है। परन्तु उसकी कोई प्रति अभियुक्त को नहीं दी गयी तथा अभियुक्त के सादे कागज पर अंगूठा लगवाया गया, इस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है।

बचावपक्ष के उक्त तर्क का विरोध करते हुये अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को फर्द की प्रति मौके पर दी गयी थी। जिसकी पुष्टि फर्द पर उसके निशानी अंगूठे से होती है। अभियुक्त द्वारा स्वयं को बचाने के लिये झूठे कथन किये जा रहे हैं।

उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण की घटना की रिपोर्ट दिनांक 01.09.2014 को समय 08:35 बजे अंकित किया जाना चिक एफ०आई०आर० प्रदर्श क–7 में दर्शाया गया है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 के आधार पर अंकित की गयी है।_फर्द बरामदगी पर अभियुक्त गुलदार का निशानी अंगूठा अंकित है। फर्द में अभियुक्तों को अलग –अलग नकल दिया जाना उल्लिखित किया गया है। जी०डी० कायमी प्रदर्श क–8 जो कि साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 हे०कां० देवेन्द्र कुमार द्वारा साबित की गयी है, में अभियुक्त को थाने पर दाखिले के समय तलाशी के दौरान उससे फर्द की प्रति बरामद होना दर्शाया गया है, किन्तु साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 हे०कां० देवेन्द्र कुमार द्वारा प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त की तलाशी पर थाने में कोई फर्द की प्रति बरामद न होना स्वीकार किया है। इसी प्रकार साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार द्वारा प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त को फर्द की नकल थाने पर दिया जाना स्वीकार किया है। उनके द्वारा प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया गया है कि उनके सामने अभियुक्त की जामा तलाशी थाने में होने पर अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई वस्तु बरामद नहीं हुई थी। जबकि जी०डी० कायमी प्रदर्श क–8 में अभियुक्त की थाने पर जामा तलाशी के दौरान उसके पास से 260/–रुपये तथा फर्द की कार्बन प्रति मिलना दर्शाया गया है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार के द्वारा प्रतिपरीक्षा में किये गये कथनों से स्पष्ट है कि अभियुक्त को मौके पर फर्द की प्रति प्रदान नहीं की गयी। थाने पर अभियुक्त की तलाशी के दौरान उसके पास से बरामद वस्तुओं के संबंध में साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार व साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 हे०कां० देवेन्द्र कुमार के बयानों में विरोधाभास है। ऐसी दशा में फर्द मौके पर तैयार किये जाने और मुकदमा संबंधी अन्य कार्यवाही मौके पर किया जाना स्वयं में संदिग्ध हो जाता है।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि पुलिस गश्ती दल को जी०डी० संख्या 04 समय 02:55 बजे पर रवाना होना बताया गया है, परन्तु कोई भी रवानगी की जी०डी० अभियोजन की ओर से साबित नहीं करायी गयी है। बचावपक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष द्वारा विरोध किया गया।

उभयपक्ष के तर्कों के आलोक में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में पुलिस गश्ती दल को दिनांक 01.09.2014 को बहवाले रपट संख्या 4 समय 02:55 बजे पर थाने से वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था व दबिश वांछित व तलाशी वारण्टी चेकिंग गश्त व पिकेट में रवाना होने का कथन किया गया है। जिसकी पुष्टि अभियोजन साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार द्वारा अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य में की गयी है, किन्तु अभियोजन की ओर से उक्त जी०डी० रवानगी को पत्रावली पर दाखिल कर साबित नहीं कराया गया है। जिस कारण पुलिस गश्ती दल का थाने रवाना होना व अभियुक्त का मौके से गिरफ्तारी होने का तथ्य संदिग्ध हो जाता है। ऐसी दशा में जबकि अभियोजन की ओर से पुलिस बल के थाने से रवाना होने की जी०डी० प्रस्तुत नहीं की गयी है, तब माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **मथुरा प्रसाद मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2005(1) जे०आई०सी० 970** के मामले में अभिनिर्धारित मत के अनुसार अभियोजन द्वारा पुलिस बल के बताये गये समय व स्थान पर उपस्थित रहने का तथ्य साबित करने के लिये समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियोजन पक्ष की ओर से जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया है, वह गलत व फर्जी तरीके से भेजा गया है। माल को विधि विज्ञान प्रयोगशाला किसके द्वारा भेजा गया। इस संबंध में कोई साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से मालखाना रजिस्टर और नमूना मोहर प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया है। इस कारण अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

बचावपक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन की ओर से विरोध करते हुये तर्क दिया गया कि अभियुक्त गुलदार से बरामद माल में से नमूना माल न्यायालय के समक्ष निकालकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित किया गया। जिसकी पुष्टि साक्षी पी०डब्ल्यू० –2 विवेचक/नि० अरविन्द कुमार द्वारा अपने बयानों में की गयी है। मात्र नमूना मोहर प्रस्तुत न किये जाने से अभियोजन कथानक को संदिग्ध नहीं माना जा सकता। अभियुक्त दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने योग्य है।

उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1, जो कि साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार द्वारा साबित की गयी है, में इस तथ्य का उल्लेख है कि अभियुक्त से कथित माल मुकदमाती बरामद करने के उपरांत माल मुकदमाती 250 ग्राम चरस में से 50 ग्राम चरस को निकालकर बतौर नमूना अलग किया गया तथा बरामद माल व नमूने को मौके पर ही सील सर्व मोहर किया गया तथा नमूना मोहर तैयार किया गया। इसी आशय का साक्ष्य साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार द्वारा भी दिया गया है। जी०डी० कायमी प्रदर्श क–8 में अभियुक्त को मय नमूना मोहर थाने पर दाखिल किया जाना उल्लिखित है, किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से संबंधित थाने के मालखाना रजिस्टर को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया है और न ही नमूना मोहर पत्रावली पर दाखिल की गयी है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 विवेचक/नि० अरविन्द

कुमार द्वारा मुख्य परीक्षा में दिनांक 26.09.2014 को केस डायरी में बरामद माल में से लिये गये नमूने को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा में दाखिल किये जाने का विवरण अंकित किया जाना कहा है, किन्तु उनके द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूने को दाखिल किये जाने की तिथि के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त जो नमूना मौके पर निकाला जाना अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया है, वह नमूना माल विचारण के दौरान भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त माल बरामदगी के दिनांक 01.09.2014 से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे जाने तक उक्त माल कहाँ रहा, किसके आदेश से उक्त माल मालखाने से निकाला गया, कब निकाला गया, इस संबंध में अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल केस डायरी में कथन किये गये हैं, जिसके अनुसार बरामद माल को दिनांक 18.09.2014 को कां० 26 राकेश कुमार द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला दाखिल किया जाना दर्शाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से कां० 26 राकेश कुमार को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे दर्शित होता है कि जो माल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, वह इस प्रकरण से संबंधित था अथवा नहीं, यह संदिग्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा जो माल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर साबित कराया गया है, वह माल पुलिंदा नमूना मोहर से मिलान कर नहीं खोला गया। उपरोक्त तर्कों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा जो माल विधि विज्ञान प्रयोगशाला, आगरा प्रेषित किया जाना दर्शाया गया है, वह माल सुरक्षित रहा अथवा नहीं, इस तथ्य को अभियोजन पक्ष साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त जो माल अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, वह माल वही माल था, जो अभियुक्त के पास से बरामद होना दर्शाया गया है, इस तथ्य को भी अभियोजन साबित करने में असफल रहा है। अतः बचावपक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क में बल है।

माननीय न्यायालय के द्वारा सम्मानित विधि व्यवस्था **गुरुबख्श सिंह बनाम हरियाणा राज्य 2001 (2) ए०सी०सी० 476** में यह विनिश्चयन किया गया है कि अभियोजन को यह तथ्य साबित करना होगा कि अभियुक्त के पास से बरामद माल को मालखाने में किस तिथि को रखा गया था और किस तिथि को उसे माल खाने से निकाला गया था। इस तथ्य को साबित करने के लिए अभियोजन को न्यायालय के समक्ष मालखाना रजिस्टर प्रस्तुत करना होगा। साथ ही अभियोजन को जिस सील मोहर से माल को सील किया गया था उसे भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके माल पर लगे हुये सील मोहर से उसका मिलान करके सील मोहर करने के तथ्य को साबित करना होगा। इन तथ्यों के अभाव में पकड़े गये माल की सीलिंग विधि अनुरूप न पाये जाने के कारण दोषसिद्धि नहीं की जा सकेगी।

उपरोक्त विधि व्यवस्था पर पूर्णतया विश्वास व्यक्त करते हुये एवं उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस मत की है कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्क में बल है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में पुलिस द्वाराा स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52, 52क, 55 एवं 57 की अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात प्रभारी

अधिकारी पुलिस स्टेशन के समक्षा ना तो प्रस्तुत किया गया और न ही उससे बरामद माल की कोई सूची बनायी गयी और न ही प्रभारी पुलिस स्टेशन द्वारा धारा 55 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्रावधान का अनुपालन किया गया। इस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध है और सन्देह का लाभ अभियुक्त पाने का पात्र है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया।

उपरोक्त तर्क के विवेचन से पूर्व स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52, 52क, 55 एवं 57 का उल्लेख किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, उसके उपरांत ही यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि क्या अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त विधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया अथवा नहीं।

धारा 52 गिरफतार किए गए व्यक्ति तथा अभिग्रहीत की गयी चीजों की बावत कार्यवाही :

(1) धारा 41, धारा 42, धारा 43 या धारा 44, के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी उसे यथाशीघ्र ऐसे गिरफ्तारी के कारणों की सूचना देगा।

(2) धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति तथा अभिग्रहीत की गयी चीज को बिना अनावश्यक देरी के उस मजिस्ट्रेट को भेजा जायेगा, जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था।

(3) धारा 41 की उपधारा (1) धारा 42,धारा 43 या धारा 44 के अधीन गिरफ्तार किये गये प्रत्येक व्यक्ति और अभिग्रहीत की गयी वस्तु बिना अनावश्यक देरी किये–

(क) निकटतम पुलिस थाना के भारसाधक अधिकारी, या

(ख) धारा 53 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को भेजी जायेगी।

(4) वह प्राधिकारी या अधिकारी जिसको कोई व्यक्ति या चीज उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन भेजी जाती है, सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसे व्यक्ति या चीज को निपटाने के बारे में विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए ऐसे उपाय करेगा, जो आवश्यक हो।

धारा 52–क समपृहत की गयी स्वापक औषधिओं एवं साईकोट्रापिक पदार्थों का निराकरण

(2) जहाँ किसी स्वापक औषधि या मनोत्तेजक पदार्थ को जब्ज किया जाकर,निकटतम थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी स्वापक औषधि साईकोट्रापिक पदार्थ की सूची तैयार करेगा, जिसमें उसकी मात्रा, स्वरुप, सील बंद करने का तरीका, चिन्ह, अंक या अन्य ऐसे पहचान चिन्हों का विवरण उस स्वापक औषधि या साईकोट्रापिक पदार्थ की उत्पत्ति का देश और अन्य ऐसे विवरण जैसा कि उपधारा 1 में निर्दिष्ट अधिकारी,इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान, उसकी पहचान के लिये उचित समझे और तब वह किसी मजिस्ट्रेट को इस आशय का आवेदन करेगा–

(क) इस प्रकार तैयार की गयी सूची की सत्यता प्रमाणित करने को या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी औषधि या पदार्थ के छाया चित्र लेने और ऐसे छाया चित्रों के सत्य होने के प्रमाणीकरण करने को,

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ में से, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में नमूना लेने और लिये गये ऐसे नमूने की सूची की सत्यता सत्यापित करने को,

<u>धारा 55 अधिग्रहीत की गयी और परिदत्त की गयी वस्तुओं का पुलिस द्वारा प्राप्त किया जाना</u>–

पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश लम्बित रखने तक इस अधिनियम के अधीन उस थाने के स्थानीय क्षेत्र में अधिग्रहीत सभी वस्तुयें जो उसे परिदत्त की जा सके, को लेगा और उन्हे सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा और ऐसी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने पर आने वाले या इस आशय से प्रतिनियुक्त किये गये व्यक्ति को ऐसी वस्तु पर अपनी मोहर लगाने देगा या उन वस्तुओं का और उन वस्तुओं से नमूना लेने देगा और इस प्रकार लिये गये सभी नमूने थाने के भारसाधक अधिकारी की मोहर से भी मोहरबंद किये जायेगें।

<u>धारा 57 गिरफ्तारी और अधिग्रहणों की रिपोर्ट–</u>

जब कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अधिग्रहण करता है तो ऐसी गिरफ्तारी या अधिग्रहण के पश्चात अगले 48 घंटों के अन्दर ऐसे गिरफ्तारी या अधिग्रहण की सभी विशिष्टियों की एक पूरी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारी के पास भेजेगा।

इस प्रकरण में अभियोजन के तथ्य के साक्षी पी०डब्ल्यू० –1 वादी मुकदमा /उ०नि० प्रमोद कुमार ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "थाने पर उस समय प्रभारी निरीक्षक कौन थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। थाने पर जाकर प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर व मोहर नहीं कराये थे।" साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा /उ०नि० प्रमोद कुमार ने अपने सशपथ मौखिक साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि उनके द्वारा अभियुक्त को थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष पेश करके अभियुक्त से बरामद माल की कोई सूची बनवायी गयी हो, जिससे यह निष्कर्षित होता है कि पुलिस पार्टी द्वारा थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष यह माल प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही उक्त माल उनकी अभिरक्षा में दिया गया था और पुलिस पार्टी द्वारा माल को मालखाना में दाखिल कर दिया गया था। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पुलिस द्वारा इस प्रकरण में धारा 52, 52क, 55 व 57 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **रोशनलाल बनाम उ०प्र० राज्य 2007 (2) जे०आई०सी० 650 इला०** के वाद निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 100 द०प्र०सं० के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया, इसके अतिरिक्त धारा 52 व 57 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम का अनुपालन नहीं किया गया, गिरफ्तारी तथा बरामदगी की सूचना अविलम्ब अपने उच्चाधिकारियों को नहीं दी गयी, फर्जी बरामदगी का कथन प्रतिरक्षा में किया गया, स्वतन्त्र साक्षी बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। बरामद माल के वजन में अंतर पाया गया, यह सभी ऐसे तथ्य हैं कि जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाने हेतु पर्याप्त हैं। ऐसे में दोषसिद्धि मान्य नही की जा सकती है।

इरशाद अहमद उर्फ शेखू बनाम उ०प्र० राज्य 2005 (3) जे०आई०सी० 650 340 इला० के वाद निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 57 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारी तथा बरामदगी की सूचना लिखित में उच्चाधिकारियों को नहीं दी गयी न ही ऐसी कोई रिपोर्ट पत्रावली पर है, अभियुक्त की दोषमुक्ति की गयी।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **थांडी राम बनाम हरियाणा राज्य 2000 एस०सी०सी० (कि०) 189** के वाद निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 55 व 57 के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया, ऐसे में दोषसिद्धि किया जाना विधिक दृष्टि में उचित नहीं है।

इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य से स्पष्ट है कि धारा 52, 52क, 55 व 57 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। यद्यपि उपरोक्त धाराओं के प्रावधान आज्ञापक नही हैं, परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नही है कि पुलिस उक्त प्रावधानों का अनुपालन ही न करे। अतः बचाव पक्ष के तर्क में बल हैं।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि पुलिस द्वारा घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है,जबकि घटनास्थल बाजार है और अभियुक्त को बीच बाजार से गिरफतार किया गया है, जहाँ पर लोगों का आना–जाना लगा रहता है। और जो साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये है, वे सभी पुलिसकर्मी है और हितबद्ध साक्षी है और ऐसे साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दंड़ित नहीं किया जा सकता है।

बचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आज के समय में स्वतंत्र साक्षी मिल पाना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध भलाई बुराई के कारण गवाही देने से बचता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस साक्षियों का साक्ष्य होने पर अभियुक्त को दंड़ित न किया जा सकता हो।

उभय पक्षों के तर्कों के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क –1 में यह अंकित है कि "सुबह–सुबह का वक्त है। आने–जाने वालों ने पुलिस झंझटों से बचने के लिये गवाही देने को मना कर दिया।" साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 वादी मुकदमा/उ०नि० प्रमोद कुमार द्वारा सशपथ प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि "घटनास्थल पर लिखा पढी में दो घण्टे रहा था यानि की दिन के साढे आठ बजे तक। इस बीच कुछ लोग आये भी थे।" इस प्रकार स्पष्ट है कि घटनास्थल पर लोगों की आवाजाही थी, जिनके द्वारा उक्त घटना देखी गयी। जिस स्थान पर लोगों का आना जाना हो और समय सुबह के साढे आठ बजे का हो, ऐसे में जनता के स्वतंत्र साक्षी न मिलना अस्वाभाविक है। यह भी उल्लेखनीय है कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–1 में कां० 437 दीपक कुमार से तराजू बांट मंगाया जाना दर्शाया गया है। यदि कां० 437 दीपक कुमार को भेजकर तराजू बांट मंगाया जा सकता था, तो स्वतंत्र साक्षी भी लिये जा सकते थे। फर्द बरामदगी तथा साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 उ०नि० प्रमोद कुमार के सशपथ मौखिक साक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनके द्वारा मौके पर जनसाक्षी लिये जाने के संबंध में क्या प्रयास किया गया। पत्रावली पर ऐसा कोई मौखिक

अथवा अभिलेखीय साक्ष्य नहीं है कि पुलिस वालों द्वारा जिन व्यक्तियों से गवाही के लिये कहा गया और उन व्यक्तियों द्वारा मामले में गवाही देने से इंकार करने पर उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी। न्यायालय की राय में पुलिस बल द्वारा स्वतंत्र साक्षियों को लेने का कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया, नहीं तो उनके नाम, पते अवश्य लिखे जाते, जो घटना को संदेहास्पद बनाता है।

इस प्रकार उपरोक्त सम्पूर्ण मौखिक अभिलेखीय साक्ष्यो के विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पत्रावली पर ऐसा कोई ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो की युक्तियुक्त संदेह से परे पुष्टि हो सके।

आपराधिक विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि अभियोजन को अपने साक्ष्य से अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करना होगा और यदि अभियोजन ऐसा करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जायेगा। **विधि व्यवस्था योगेश सिंह बनाम महावीर सिंह एवं अन्य 2016 (97) ए.सी.सी. पेज नं0 993 में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन के लिए आवश्यक है कि अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे साबित करें जब उपलब्ध सामग्री के आधार पर दो अभिमत सम्भव हो तो, जो मत अभियुक्त के पक्ष में जाता हो उसे अपनाया जायेगा।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गुलदार के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होते हैं। अतः अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।जिस कारण अभियुक्त संदेह का लाभ पाते हुए, दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त गुलदार को अन्तर्गत धारा 8/20 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए, दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त गुलदार जमानत पर है। अभियुक्त का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं प्रतिभू पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्त गुलदार को आदेशित किया जाता है कि वह एक सप्ताह के अन्दर धारा 437 क दं०प्र०सं० के अधीन 25,000/-रुपये की धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू इस उददेश्य हेतु प्रस्तुत करे कि यदि इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की जाती है एवं उसे तलब किया जाता है, तो वह वहाँ उपस्थित होगा। उक्त बंधपत्र और प्रतिभू पत्र छः माह की समयावधि तक प्रभावी होंगे।

माल मुकदमाती राज्य के पक्ष में जब्त किया जाता है। माल मुकदमाती बाद मियाद अपील अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार विनिष्ट किया जाये।

द०प्र०सं०की धारा 365 के अनुपालन में निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर को प्रेषित की जाये।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफतर हो।

दिनांक 15.07.2026

(पिंकू कुमार)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 6, रामपुर।
J.O.Code–UP2659

निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 15.07.2026

(पिंकू कुमार)
विशेष न्यायाधीश(एन०डी०पी०एस०एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 6, रामपुर।
J.O.Code–UP2659